

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 344/2017/चार/ब- /

भोपाल, दिनांक 31/03/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:--वर्ष 2017-2018 बजट के लिये आवंटनों की संसूचना ।

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2017 पारित किया गया है।

2. उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:--
 - (I) मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये। अतः सामग्री के क्रय के लिये बजट नियंत्रण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा रहे कुल अनुदान का पुनरावंटन संबंधित आहरण अधिकारी को 15 दिवस के भीतर किया जाये जिससे वह तदनुसार सामग्री क्रय की कार्यवाही कर सके।
 - (II) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।
 - (III) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्र से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये। आयोजना तथा आयोजनेतर मद के मद का विभेदीकरण समाप्त किया जा चुका है, अतः सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही इन योजनाओं की राशि आहरित की जाए। जिन योजनाओं /कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जावे।
 - (IV) बजट के कुछ शीर्षों में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरणों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है। ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जावेगा। जिन क्षेत्रों / योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि / बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1156/चार/ब-1/, दिनांक 28.10.83 एवं क्रमांक 290/चार/ब-1/86 20.3.86 में निहित निर्देशों के अनुसार इस बाबत वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायें।

2.....

//2//

3. अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जो आवंटन दिया जायेगा, उसे आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट किया जायेगा।
4. नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि के वितरण हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।
5. निम्नानुसार मदों में कटौती कर शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है:-

स0क्र0	मद	कटौती प्रतिशत में
1	22-003 कार्यालय फर्नीचर क्रय	10
2	22-008 अन्य आकरिमक व्यय	10
3	22-013 कार्यालय उपकरण क्रय	10
4	23-001 नवीन वाहन का क्रय	10
5	26 सेमिनार, वर्कशॉप, कांफ्रेंस	10
6	31-006 सफाई व्यवस्था	10
7	31-007 परिवहन व्यवस्था	10
8	33-002 मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	10
9	33-003 वाहन अनुरक्षण	10
10	33-006 फर्नीचर अनुरक्षण	10
11	42 सहायक अनुदान	10
12	51 अन्य प्रभार	10

6. प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान सहित इस वर्ष के सभी व्यय जारी किए गए आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही किये जाये। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त आवंटन/बजट प्रावधान की प्रत्याशा में कोई देनदारी अथवा कार्य नहीं किया जाये।

7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय सीमा पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

8. बजट संबंधी विस्तृत मांगवार पुस्तिकाएं www.finance.mp.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर-सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

//3//

पृ. क३४५/2017/चार/ब- /
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ३१ / ०३ / २०१७

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन-----
विभाग, भोपाल की ओर अग्रपिठ कर अनुरोध है कि संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे व्यय पर विभाग स्तर पर भी नियंत्रण रखा जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि बजट नियंत्रण अधिकारी वर्ष के दौरान आवंटन का उपयोग झाप में दिये गये निर्देशों के अनुसार करें।
- 4 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
- 5 आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिठ ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग